<u>न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर</u>

R-1167-I/13 रा.निग.क्र. ..../2013

डॉ. सईद अहमद आत्मज श्री इस्ताक अली
कृषक ग्राम–अगरिया निवासी–गौहरगंज,
तहसील गौहरगंज जिला–रायसेन.

........निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. म.प्र.शासन
द्वारा–कलेक्टर महोदय,रायसेन।
मंजूबाई पुत्री श्री बृजमोहन
नीलेश कुमार आत्मज श्री बृजमोहन
निवासी–ग्राम तामोट तहसील गौहरगंज,
जिला–रायसेन (म.प्र.)

.......उत्तरदातागण

<u>निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959</u>

महोदयजी,

न्यायालय तहसीलदार तहसील गौहरगंज के द्वारा प्र.क्र.8/अ–70/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 03.12.2012 से दुखी होकर आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर समय सीमा में माननीय न्यायालय के समक्ष यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक **निगरानी 1167–एक / 13** जिला रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28–7–2016	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह निगरानी तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 3–12–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । तहसीलदार द्वारा प्रकरण में दिनांक 14–5–2013 को अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है, जिसके विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 31–7–2014 को अवैध आधिपत्य हटाया जाकर मूल भूमिस्वामी को कब्जा सौंपने के निर्देश दिये गये है । ऐसी स्थिति में यह निगरानी निरर्थक होने से निरस्त की जाती है। **अध्यक्ष**	